No. 55/33/2016-FF(P)(Part file) (CFN-3594791)
Government of India
Ministry of Home Affairs
FFR Division

2nd Floor, NDCC-II Building
Jai Singh Road, New Delhi-110001
Dated the, 14th October, 2026

CIRCULAR

Subject: Submission of Digital Life Certificate by the beneficiaries of Swatantrata Sainik Samman Yojana -regarding.

As you are aware that Freedom Fighters and Rehabilitation Division of the Ministry of Home Affairs administers a Scheme namely 'Swatantrata Sainik Samman Yojana' (SSSY) under which a Samman Pension is given to the eligible beneficiaries of the Scheme.

2. As you are also aware that as per the Policy Guidelines of the scheme, Life Certificate is required to submit by the concerned beneficiary under SSSY once in a year, on or before 30th November.

3. The Central Government is focusing on 'Digital India' to ensure transparency and ease of governance. To ensure the uninterrupted disbursement of their Pension, all SSSY beneficiaries may submit their Life Certificate/Jeevan Pramaan digitally from the comfort of their homes through portal https://jeewanpramaan.gov.in; this helps avoid any inconvenience regarding pension payments caused by the non-submission of the Life Certificate.

4. Accordingly, all SSSY beneficiaries are hereby advised to avail themselves of the facility for online submission of their Certificate through the Jeevan Pramaan portal, available at official website https://jeevanpramaan.gov.in.

14/10/26

(**Ashok Kumar**)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 011-23438065

Copy to:
1. All the SSSY Beneficiaries.
2. Concerned Banks with a request to bring this Circular to the notice of all SSSY beneficiaries for information and necessary action.

संख्या- 55/33/2016-एफ.एफ.(पी)(भागफाईल) (CFN-3594791)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एफ.एफ.आर.प्रभाग

दूसरी मंजिल, एन.डी.सी.सी-II बिल्डिंग
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -110001
दिनांक: 14 अक्टूबर, 2026

परिपत्र

विषय: स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना के लाभार्थियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में।

जैसा कि आप जानते है, गृह मंत्रालय का स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग, एक 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' (एस.एस.एस.वाई) का परिचालन करता है, जिसके तहत योजना के पात्र लाभार्थियों को सम्मान पेंशन दी जाती है।

2. जैसा कि आप जानते है एस.एस.एस.वाई. के नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार, योजना के प्रत्येक लाभार्थी को साल में एक बार, 30 नवंबर को या उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

3. केन्द्र सरकार पारदर्शिता और सरकार कामकाज में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए 'डिजिटल इंडिया' पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। एस.एस.एस.वाई के सभी लाभार्थी अपनी पेंशन का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल रूप से, अर्थात https://jeewanpramaan.gov.in पोर्टल के माध्यम से भी घर बैठे प्रस्तुत कर सकते है एवं पेंशन कि अदायगी में जीवन प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा से बच जा सकता हैं।

4. इस संदर्भ मे, सभी एस.एस.एस.वाई लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट https://jeewanpramaan.gov.in के मार्फत जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण प्रस्तुत करने की सुविधा का लाभ उठाये।

14/10/2026

(**अशोक कुमार**)
(अवर सचिव, भारत सरकार)
टेलीफोन: 011-23438065

प्रतिलिपि:

1. सभी एस.एस.एस.वाई लाभार्थी।
2. संबंधित बैकों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को जानकारी और जरूरी कार्रवाई के लिए सभी एस.एस.एस.वाई लाभार्थियों के ध्यान में लाएँ।